प्रेषक,

श्री [illegible] सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, [illegible]

शिक्षा [illegible] अनुभाग

विषय:- श्री गुरुनानक हायर सेकेन्ड्री पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरुनानक हायर सेकेन्ड्री पब्लिक स्कूल रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस [illegible] को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है -

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये आरक्षित रहेंगे और उनसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4- राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि [illegible] में विद्यालय [illegible] परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की [illegible] परिषद [illegible] प्राप्त होती है तो परीक्षा [illegible] उक्त केन्द्रीय परिषदों की [illegible] से [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान [illegible] जायेंगे।
5- संस्था अथवा इस विद्यालय के कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के [illegible] वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय [illegible] विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/रजिस्टरों में रखा जायेगा।
9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
10- प्रतिबंध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय भूमि का [illegible] के अन्दर विद्यालय के नाम करा लेंगे।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय [illegible] संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा [illegible] का उल्लंघन किया जा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

[illegible] सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव

संख्या- [illegible] तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं, नैनीताल।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ऊधमसिंहनगर।
4- [illegible] रुद्रपुर, [illegible]
5- प्रबन्धक, श्री गुरुनानक हायर सेकेन्ड्री पब्लिक स्कूल, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,